प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

2. राज्य सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अन्तर्गत की जाती है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के व्यय के लेखापरीक्षा परिणामों को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका अथवा वर्ष 2012 13 की अवधि के आगे से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

4. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।